

Filing no. RCS-A/736/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 205 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filing no. RCS-A/736/2017

CNR no. MP30010062122017

सिविल वाद क्रमांक 205 ए/2017

संस्थित दिनांक :-06/11/2017

1. बच्चन सिंह पुत्र मुरारीलाल बघेल, उम्र-56 वर्ष,
 2. हाकिम सिंह पुत्र मुरारीलाल बघेल, उम्र-50 वर्ष,
 3. लाल सिंह पुत्र मुरारीलाल बघेल, उम्र-49 वर्ष,
- सभी निवासी-दैपरा (मुरारीलाल का पुरा), वृत्त सुरपुरा,
तहसील-अटेर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)आवेदकगण/वादीगण

// बनाम //

1. छोटेला पुत्र तुलसीराम बघेल, उम्र-80 वर्ष,
 2. रामदत्त पुत्र छोटेला बघेल, उम्र-39 वर्ष,
- दोनों निवासी-दैपरा (मुरारी लाल का पुरा), वृत्त सुरपुरा,
तहसील-अटेर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) ...मूल अनावेदकगण/प्रतिवादीगण
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक 19.01.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम दैपरा, वृत्त सुरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 167 क्षेत्र 0.850 हे0, 223 क्षेत्र 0.530 हे0, 256 क्षेत्र 0.740 हे0, 260 क्षेत्र 1.420 हे0, 262 क्षेत्र 0.500 हे0, 270 क्षेत्र 0.040 हे0, 1261 क्षेत्र 0.530 हे0 कुल क्षेत्रफल 4.610 हे0 (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियां" से निर्दिष्ट) के 1/3 भाग में से 1/2 भाग पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि रामेश्वरदयाल की निःसंतान मृत्यु वर्ष 2004 में हुयी, रामेश्वरदयाल ने विवादित भूमियों पर अपने 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त के पक्ष में निष्पादित किया और रामेश्वरदयाल की मृत्यु के बाद रामदत्त ने उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु राजस्व प्रकरण क्रमांक 19/2003-04/अ-6 राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें रामेश्वरदयाल के पूर्व मृत भाई के मुरारीलाल के पुत्र वादीगण ने नामांतरण की उक्त कार्यवाही में आपत्ति की। नामांतरण प्रकरण में रामेश्वरदयाल के पूर्व मृत भाई मुरारीलाल के पुत्र वादीगण, जीवित भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल के पुत्र वसीयतग्रहिता प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त व रामदत्त के भाई परिमाल, रामवीर व प्रेम सिंह ने संयुक्त राजीनामा ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.10.2004 से रामेश्वरदयाल के 1/3 भाग पर समान रूप से वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 के छोटेलाल के पुत्रों का नाम दर्ज करने का आदेश किया गया और उक्त आदेश के अनुशरण में राजस्व खसरों में विवादित भूमियों के 1/2 भाग पर वादीगण का नाम एवं 1/2 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल का नाम दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमियों के 1/2-1/2 भाग पर काबिज हैं और खेती करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त ने बिना किसी आधार के उक्त नामांतरण आदेश के विरुद्ध लगभग 10 साल बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, अपील प्रकरण क्रमांक 23/13-14/अ0मा0 में एस0डी0ओ0 ने आदेश दिनांक 14.05.2015 से विवादित भूमि पर मृतक रामेश्वरदयाल के 1/3 हिस्से का नामांतरण उत्तराधिकार के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल के पक्ष में किये जाने का आदेश किया जिसके विरुद्ध अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा स्वीकार की गयी और प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गयी है जिससे विवादित भूमियों पर वादीगण का केवल 1/3 भाग पर व प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल का शेष 2/3 भाग पर नाम दर्ज किया गया है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमियों के 1/2-1/2 भाग पर काबिज हैं, संयुक्त रूप से खेती करते हैं और मृत रामेश्वरदयाल के 1/3 हिस्से में से 1/2 भाग पर वादीगण का स्वत्व है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल को निषेधित किया जाये कि अंतिम निराकरण तक वह विवादित भूमियों का बंटवारा न कराये, वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करे और हस्तांतरण भी न करे।

4. अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में अनुतोष प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध चाहा गया है, प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण के पिता मुरारीलाल की मृत्यु रामेश्वरदयाल की मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी थी, मृतक रामेश्वरदयाल का सगा

भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल एकमात्र उत्तराधिकारी है और मृतक रामेश्वरदयाल के हिस्से की भूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और राजस्व मण्डल द्वारा विधिक स्थितियों के अनुरूप आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमियों में से रामेश्वरदयाल के 1/3 हिस्से की भूमि पर वादीगण का किसी भी प्रकार से कोई हक व हित नहीं है, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुशरण में विवादित भूमियों के 2/3 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और वादीगण ने झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है, जो किसी भी रूप में स्वीकारयोग्य न होने से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये। शेष प्रतिवादीगण एकपक्षीय हैं और उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. उभयपक्ष के अभिवचनों में इस तथ्य पर सारतः कोई विवाद नहीं है कि सम्पूर्ण विवादित भूमियों के 1/3 भाग के भूमिस्वामी रामेश्वरदयाल थे, रामेश्वरदयाल की मृत्यु के पूर्व ही रामेश्वरदयाल के भाई मुरारीलाल (वादीगण के पिता) की मृत्यु हो चुकी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार मृतक रामेश्वरदयाल के हिस्से की विवादित भूमियों का एकमात्र उत्तराधिकारी मृतक रामेश्वरदयाल का सगा छोटा भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल है।

7. इस मामले में मृतक रामेश्वरदयाल द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमियों पर अपने 1/3 हिस्से के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 के छोटेलाल के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.06.2003 निष्पादित किया है और इस रजिस्टर्ड वसीयतनामा के निष्पादन के लगभग एक साल बाद दिनांक 08.07.2004 को वसीयतकर्ता रामेश्वरदयाल की मृत्यु हुयी है। यह स्थापित विधि है कि वसीयत से उत्तराधिकार की सामान्य विधि के नियम प्रतिस्थापित हो जाते हैं और वसीयत का विधितः निष्पादन साबित हो जाने की दशा में मृत वसीयतकर्ता की संपत्ति उसके विधिक उत्तराधिकारी को अपवर्जित करते हुए वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा के अनुरूप वसीयतग्रहीता को प्राप्त होती है।

8. वसीयतग्रहीता प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल का पुत्र है, प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण क्रमांक 19/03-04/अ-6 में प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त, उसके भाईयों परिमाल सिंह, प्रेम सिंह और वादीगण के बीच लिखित व हस्ताक्षरित राजीनामा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। राजीनाम ज्ञापन के अनुसार मृतक रामेश्वरदयाल के विवादित भूमि पर 1/3 हिस्से में से आधा हिस्सा वादीगण को, शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त व उसके भाईयों को प्राप्त हुआ और तदनुसार राजस्व अभिलेखों में वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम 1/2-1/2 भाग पर दर्ज हुआ।

9. राजस्व अभिलेखों में यह प्रविष्टि वर्ष 2012-13 तक चलती आयी, इसके बाद प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अपील प्रकरण क्रमांक 23/13-14/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील न्यायालय ने मृतक रामेश्वरदयाल की रजिस्टर्ड वसीयत को प्रारम्भ से ही अकृत या शून्य मानते हुए रामेश्वरदयाल के उत्तराधिकारी के रूप में अपीलार्थी रामदत्त (इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 2) के पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित कर दिया।

10. उल्लेखनीय है कि मृतक की अंतिम इच्छा के रूप में निष्पादित वसीयत प्रारम्भ से ही अकृत या शून्य (नॉन ईस्ट/एब इनीशियो व्हॉयड) दस्तावेज नहीं है, इस मामले में वसीयतकर्ता रामेश्वरदयाल द्वारा अपनी मृत्यु के लगभग एक वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है और इस रजिस्टर्ड वसीयत के निष्पादन का सारभूत प्रश्न इस मामले में अंतर्वलित है। यद्यपि कि रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.06.2003 मृतक रामेश्वरदयाल द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 2 रामदत्त के पक्ष में निष्पादित किया गया है, किन्तु वादीगण उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा को विचारण के दौरान साक्ष्य में साबित कर सकते हैं और यदि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.06.2003 का विधितः निष्पादन वादीगण साबित करते हैं तो मृतक रामेश्वरदयाल के 1/3 हिस्से पर मृतक रामेश्वरदयाल के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल का कोई हक व हित नहीं रहेगा।

11. उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में इस मामले में न्यायनिर्णयन हेतु रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.06.2003 के विधितः निष्पादन का एक सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही किया जा सकता है और ऐसी दशा में वाद के अंतिम निराकरण तक विवादित भूमियों को संरक्षित किया जाना न्यायहित में समीचीन है जिससे कि वादों की बहुलता व अनावश्यक मुकद्दमेबाजी का निवारण किया जा सके।

12. जहाँ तक कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का संबंध है, स्वयं

वादीगण के अनुसार विवादित भूमियों के 1/2 भाग पर वादीगण का कब्जा है और वे संयुक्त रूप से खेती करते हैं। विवादित भूमियाँ कृषि भूमियाँ हैं और किसी भी विनिर्दिष्ट भाग पर वादीगण के कब्जे के बारे में कोई विनिर्दिष्ट अभिवचन नहीं है। विवादित भूमियों के राजस्व अभिलेखों में वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम सहस्वामी के रूप में दर्ज है, बंटवारा या विवादित भूमियों के किसी विनिर्दिष्ट भाग पर वादीगण का अनन्य कब्जा होने के बारे में कोई भी अभिवचन या साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और ऐसी स्थिति में एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

13. वादीगण ने यह अनुतोष भी चाहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल को बंटवारा कराने से निषेधित किया जाये। सम्पूर्ण वादपत्र में इस तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल ने विवादित भूमियों के बंटवारा हेतु कोई कार्यवाही संस्थित की है या किसी सक्षम राजस्व न्यायालय में विभाजन की कार्यवाही लंबित है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 178 में ही यह प्रावधान है कि विभाजन की कार्यवाही में स्वत्व का विवाद होने पर तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को रोक देगा और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में विवादित भूमियों के बंटवारा के संबंध में इस प्रक्रम पर कोई व्यक्तिगत आशंका भी प्रकट नहीं हो रही है।

14. उक्त संपूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि विवादित भूमियों के 1/3 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व है, इस मामले में मृतक रामेश्वरदयाल के विवादित भूमियों पर 1/3 हिस्से का सारभूत विवाद है जिसका निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही किया जा सकता है और वाद के लंबन काल तक मृतक रामेश्वरदयाल के उक्त हिस्से को संरक्षित किया जाना समीचीन है। अतः वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 अंशतः स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल को निषेधित किया जाता है कि वह वाद के लंबन के दौरान विवादित भूमियों पर अपने 1/3 अंश से अधिक भूमि का विक्रय न करे और न ही करावे। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)